न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

वाद सं०–87 / 2017, धारा–107 द०प्र०सं०

बुधन लाल लोहरा वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

धना माँझी.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
05/02/2018	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी सं०–25 / 17, दिनांक–25 / 06 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दुसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 गुरूवा मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ, दोनों पक्ष मेरे गाँव के रहने वाले हैं। बुधन लाल लोहरा एक केस 71 दफा का धना माँझी के ऊपर किया था, तमाड़ मौजा के माँझीडीह टोला में 71 दफा का केस हुआ था। उक्त केस में डिग्री बुधन लाल को मिला था। उक्त केस में डिग्री बुधन लाल को मिला था। दखल दिहानी के बाद भी द्वितीय पक्ष उक्त जमीन में इन्दिरा आवास बनाने गया था, उक्त कारण से ही उभय पक्ष में बातचीत नहीं होता है तथा झगड़ा–झंझट है, अभी धमका–धमकी नहीं हुआ है। धना माँझी इंदिरा आवास में 3–4 महीना पहले ऐस्बेस्टस लगाया है, इंदिरा आवास बनाने के लिए 15–20 साल पहले विवादित जमीन में नींव खोदा था। उभय पक्ष में मारपीट नहीं हुआ है, पूर्व में भी नहीं हुआ है। गवाह सं०–02 महेश सेठ ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष को मैं जानता हूँ। उभय पक्ष में झगड़ा है, जमीन को लेकर विवाद है। विवादित जमीन में धना माँझी घर बना रहा था, वह जमीन न्यायालय के आदेश से मिला है। किस न्यायालय के आदेश से मिला है, नहीं जानता हूँ। बुधन लाल लोहरा को किस केस में दखल देहानी हुआ था यह मैं नहीं बता सकता हूँ, वर्त्तमान में झगड़ा हुआ था कि नहीं, नहीं बता सकता हूँ, केस होने के बाद उभय पक्ष में बाता बाती हुआ था यह मुझे मालूम नहीं है। गवाह सं०–03 बुधन लाल लोहरा (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, विवादित जमीन मेरा खतियानी जमीन है। मेरे पूर्वज झगडू सेठ एवं महेश सेठ को जमीन नहीं बेचा है, घर बनाने के लिए जमीन दिया है। ये लोग जमीन को रजिस्ट्री किया है किन्तु लोग जाति बदलकर कौम कामार करके रजिस्ट्री किया है। पुनः बोलते हैं कि महेश सेठ को जमीन	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की एवं टिप्पणी तरी

नहीं दिया गया है। दलगोबिन्द माँझी को कौम लोहार लिखकर जमीन दिया गया है। अभी मै कौम लोहरा बनकर वापसी चाह रहा हूँ। दुर्गा पूजा के समय मुझे द्वितीय पक्ष बोला था कि केस किया तो क्या किया, इसके बाद से अभी तक कोई बाता बाती द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 निमाई माँझी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, विवादित जमीन उभय पक्ष के बीच बदली किया हुआ जमीन है, उक्त जमीन में द्वितीय पक्ष का घर है एक घर पहले से बना था और एक इंदिरा आवास है। उस इंदिरा आवास को द्वितीय पक्ष मरम्मत कर रहा था, मरम्मत के दौरान उभय पक्ष में किसी तरह का लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है, केस होने के बाद उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।

गवाह सं०–02 धना माँझी (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन को लेकर केस हुआ है उभय पक्ष के पूर्वजों के द्वारा जमीन का अदला बदली किया गया है विवादित जमीन में मेरा 2 घर है साथ में उक्त जमीन में खेती बारी भी होता है। उक्त जमीन को लेकर भूमि वापसी का केस भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ केस हुआ था। बुधु लोहार के पक्ष में आदेश हुआ था। मैं अपील किया था पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ भेजा गया है। घर मरम्मति के दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एक साल के दौरान एवं केस चलने के बाद उभय पक्ष में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। अभी दोनों पक्ष शांत हैं, लड़ाई–झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन, प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष में शांति भंग नहीं हुई है और वाद की कार्रवाई के दौरान भी उभय पक्ष शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं कर पाये हैं। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

5/2/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।